हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बज़े अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

02.04.2018/1400/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 69

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये जो BADP के फंड्ज हैं, पिछले 3 वर्षों और यदि 2017-18 के कार्यों को भी इसमें जोड़ा जाये तो इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि की आवश्यकता, मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर के पूह और कल्पा में पिछले कार्य को पूरा करने के लिए है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए आप कहां से इतनी राशि उपलब्ध करवाएंगे ताकि हमारी जो स्कीमें अधूरी पड़ी हुई है, उनको पूरा किया जा सके?

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि लगभग 100 करोड़ की जरूरत है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज से 8-10 दिन पहले भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपये BADP के अंतर्गत दिया है। जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होगी, BADP में मैंने जैसा पहले कहा कि 0-10 किलोमीटर में जो कार्य चले हुए है, उनको हम धनराशि दे रहे हैं। जैसे ही 0-10 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होगा और जिला स्तरीय समिति हमें इसके बारे में रिपोर्ट करेंगी तो हम 10-20 किलोमीटर का कार्य शुरू कर देंगे। हमने भारत सरकार से 1000 करोड़ रुपये लिए हैं। जैसे-जैसे बजट आएगा, हम इनको पूरा करेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 0-10 या 10-20 किलोमीटर रेडियस के फॉर्मूले के बारे में नहीं पूछा था। मैंने तो ये पूछा था कि गत तीन वर्षों (2014-16) में स्कीमों को पूरा करने के लिए, आपने अपने जवाब में बताया है कि इसमें लगभग 81 करोड़ रुपये से ज्यादा लगने वाला है। यदि 2017-18 के कार्यों को भी लें तो इन कार्यों को पूर्ण करने में 100 करोड़ से ज्यादा लगना है। आपका 1000 करोड़ रुपये का बजट तो आया ही नहीं है। कहां से 1000 करोड़ रुपये आ गया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुराने कार्यों को पूर्ण करने के लिए 100 करोड़ रुपये और चाहिए। इसको आप कहां से उपलब्ध करवाएंगे?

02.04.2018/1400/TCV/HK-2

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को सीधे-सीधे जवाब दे दिया था। मैंने कहा कि आज से 8 दिन पूर्व 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आ चुके हैं। हमने उस पर आप से कोई शैल्फ नहीं मांगी है। आपके जो पुराने काम चले हुए हैं, उसके लिए ही हमने धनराशि दे दी है। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनमें 16 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 54 कार्य निर्माणाधीन हैं। कुछ कार्य अभी भी चल रहे हैं। उनके लिए हमने अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर दिया है। हम चाहेंगे कि जो पुराने काम रह चुके हैं, उनके लिए पैसे उपलब्ध करवायें जायें। धनराशि जैसे-जैसे उपलब्ध होगी, इन कामों के लिए दे दी जाएगी। BADP अभी बन्द होने वाला नहीं है। आपकी मंशा ठीक है कि काम अभी अधूरे हैं, लेकिन इसके लिए बजट आता रहेगा और इन कामों को पूरा करते रहेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय, से बार-बार यह कह रहा हूं कि ये जो पुराने कार्य हैं, इनको पूर्ण करने के लिए 1000 करोड़ रु पये की ज़रूरत है। 81 करोड़ रुपये की ज़रूरत तो आप भी मान रहे हैं और मैं 2017-18 के कामों को जोड़कर 100 करोड़ रुपये से ऊपर मान रहा हूं। आप इसको कैसे पूरा करेंगे? आप ये नहीं बता रहे हैं। ये पैसा कहां से आएगा, क्योंकि काम तो अधूरे पड़े हैं। उनके लिए बजट नहीं मिल रहा है। क्या केन्द्र सरकार से आप 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि की मांग करेंगे? ये मेरा सवाल है।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर हम सही मायने में गाइडलाईन को पढ़े तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ कार्य चल रहे हैं, वह पूरे नहीं हो पाये हैं। कई कार्य शायद 3-3 साल से चल रहे हैं। जो कार्य फॉरेस्ट क्लीयरेंस इत्यादि के कारण पूरे नहीं हुए है, हम उनको रेशनेलाईज़ कर सकते हैं। इस बार हमने 1000 करोड़ रुपये का बजट ले लिया है। भविष्य में यदि और काम पैंडिंग रहेंगे तो उसके लिए भारत सरकार से और धनराशि मांग लेंगे। ये कंटीन्यू**अस** प्रोसैस है, हम इसको पूरा करेंगे।

02-04-2018/1405/NS/HK/1

अध्यक्षः मैं इससे पहले अगला प्रश्न अनाऊंस करूं और यह माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी तिरूपति बाला जी दर्शन करके आये हैं। इनको बहुत-बहुत बधाई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री दुर्घटना के बाद सुरक्षित हैं, इसके लिए हम आपको शुभ कामनायें देते हैं।

प्रश्न संख्याः 71

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और एनश्योर करना चाहूंगा कि यह बड़ा संगीन मामला है। यह लगभग 16,000 कनाल से ज्यादा की जगह है, which is on the border of Punjab. यहां से चक्की बैंक रेलवे स्टेशन दो किलोमीटर की दूरी पर है और जो एयरपोर्ट्स की फ्लाईट्स कल से शुरू हो रही हैं, वे यहां से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसमें इतनी एनक्रोचमैंट हो रही है कि आज के दिन में यहां पर तीन अन-ऑथोराईज़ड कॉलोनीज़ बनी हैं। I will give you an example. तिलक राज नामक एक व्यक्ति की सन 1982 में गैर-मोरूसी की जो एंटरी हुई है और यह एंटरी नायब तहसीलदार ने की है, who is not valid for this. नायब तहसीलदार यह एंटरी नहीं कर सकता है। क्योंकि यह उनके ज्यूरीडिक्शन में नहीं आता है । after that यही जगह सन 1992 में इसको 25 कनाल का मालिक बना दिया गया है। The land was doubled up. इस तरीके के वहां पर कई केसिज़ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या को-शेयर्र को टैंनेंट बनाया जा सकता है? यह मंदिर के को-शेयर्र थे, यह मालिक नहीं बन सकते थे। When you are co-sharer with the temple, you cannot become owners. ये मालिक भी बन गये और मालिक बनने के बाद पठानकोट के एयरपोर्ट में करोड़ों रुपये का मुआवज़ा भी ले लिया। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इन कॉलोनीज़ को वहां से dislocate करें। परन्तु मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि कम-से-कम इनको रेग्युलराईज़ करें, इनके कार्डज़ बनें और इनको पानी और बिजली का कनैक्शन मिले। इनको किसी टैक्स के रूप में मेन स्ट्रीम में लाया जाये। इस कॉलोनी का नाम धक्का कॉलोनी है। क्योंकि इसको धक्के से लोगों ने ले लिया है इसलिए इसका नाम धक्का कॉलोनी पड़ गया है।

02-04-2018/1405/NS/HK/2

अध्यक्ष महोदय, यह तब हुआ था, जब वहां पर हिन्दुओं के उग्रवादियों के साथ ऑप्रेशन ब्लू स्टार के बाद कलैशिज़ हुए थे। तब बहुत-सी हिन्दु फैमिलीज़ वहां से माईग्रेट हो करके नीचे आ गईं थी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इनको evict करवायें। लेकिन इनको रेग्युलराईज़ तो करवायें। इसके अलावा यहां पर 12 क्रशर चल रहे हैं और पिछली सरकार ने एक-एक क्रशर को तीन-तीन लाख से रेग्युलराईज़ कर दिया है, which is totally illegal. अगले साल इनकी एक्सटैंशन खत्म हो रही है, कम-से-कम लगभग 10 लाख रुपये लें, otherwise they are not legal.

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया प्रश्न पूछें।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच में बहुत ही जटिल और कठिन प्रश्न है। राम गोपल मंदिर सम्वत 1550 में आस्तित्व में आया था और इसके पास बहुत जमीन है। प्रदेश के अंदर और बाहर बहुत जगह है। हमारे पास रिकार्ड के मुताबिक जो जानकारी आई है, उसमें प्रदेश के अंदर लगभग 650 हैक्टेयर जमीन प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से लगभग 547 कनाल जमीन प्रदेश के बाहर है

02.04.2018/1410/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 71... जारी

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

जो कि मंदिर के नाम है। इस मंदिर का अधिग्रहण दिनांक 03.01.1996 को किया गया था। माननीय सदस्य ने बताया कि बड़े स्तर पर एनक्रोचर ने एनक्रोचमैंट की है। एनक्रोचमैंट में आप तिलक राज का जिक्र भी कर रहे हैं। क्या तिलक राज वहां पर है? इस तरह इसमें बड़ी तादाद में लोग हैं। हमारे पास 24 लोगों की सूची उपलब्ध हैं, जिसमें तिलक राज का

नाम भी शामिल है। आपने नायब तहसीलदार का जिक्र किया कि नायब तहसीलदार गैर-मोरूसी दर्ज़ करने के लिए अधिकृत नहीं था। यह बात हकीकत है। माननीय सदस्य ने कहा है कि एनक्रोचमैंट का यह सारा मसला अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है। इसकी बहुत लम्बी डिटेल है। लेकिन समय-समय पर जो मामले दर्ज़ हुए हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। अभी तक जो कब्जाधारियों की शिनाख्त की गई उसमें 419 लोग संलिप्त हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की भूमि में 883 कब्जाधारी तस्दीक हुए हैं। जिनमें मकान, दूकानें, फैक्ट्रियां, पैट्रोल-पम्प, क्रशर इत्यादि बनाकर वे अपना-अपना कारोबार चला रहे हैं। उस ज़मीन में लगभग 12 क्रशर पिछली सरकार के समय गैर-कानूनी तरीके से लगाए गए हैं। उनमें अवैध खनन किया जा रहा है। उसके बावजूद भी पूर्व सरकार ने उन क्रशरों को चलाने की इज़ाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय है। The information is not available right now with me. लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानकारी स्वयं लूंगा। आने वाले समय में इसका कोई हल निकले। मैं देखकर हैरान हूं कि इस मंदिर की जगह कहां-कहां है? इसकी डमटाल, इंदौरा, फतेहपुर, शाहपुर, पंजाब में गुरदासपुर, पठानकोट और बुनेरा में इस मंदिर की ज़मीनें हैं। अभी तक हम सही मायने में इसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाए कि वास्तव में इस मंदिर की कितनी ज़मीन है? मंदिर की ज़मीन में कितने लोगों ने कब्ज़ा किया है? रेवेन्यू विभाग से जो हमारे पास सूचना उपलब्ध हुई है, वही सूचना मैंने आपको बताई है। माननीय सदस्य ने इस

02.04.2018/1410/RKS/YK-2

बारे में बड़े विस्तार से जानकार चाही है और मैं भी इस बात के निष्कर्ष में पहुंच रहा हूं कि इस सारे मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उच्च स्तरीय जांच के आदेश देंगे ताकि सही बात मालूम पड़ जाए कि मंदिर के पास कितनी ज़मीन है। इस ज़मीन में कितने कब्ज़ाधारी हैं और उनके

खिलाफ कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद कमेटी के माध्यम से यह सारी चीजें की जाएगी।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यह आश्वस्त किया कि आप इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे। मैं एक अंतिम पूरक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। वहां पर कल से फ्लाइट शुरू हो रही है और यह रास्ता इस ज़मीन के बीच से होकर जाता है। उड़ान योजना के तहत पठानकोट का क्षेत्र इसमें आया है। इससे हमारे पूरे प्रदेश का एरिया लाभान्वित होगा। पिछले सात महीने तक वह सारी सड़क अवैध खनन के कारण बंद रही। इस सड़क की टोटल इरोजन हो गई थी। अब इसका थोड़ा- बहुत रिपेयर किया गया है। अगर इसको जल्द-से-जल्द चैक नहीं किया गया तो यह रोड वर्कऐबल नहीं रहेगा।

0.03.2018/1415/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 71 **क्रमागत**

श्री राकेश पठानिया जारी

जहां हमें आश्वस्त किया, मैं आपसे यह भी आश्वासन चाहूंगा कि ये जो गलत एन्ट्रीज हैं, जैसा आपने माना कि गलत एन्ट्रीज हुई हैं, इसमें भी कार्रवाई हो । इन लोगों से evict किया जाए या इन लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही इस सड़क के बारे में भी हमें आश्वस्त करें ताकि हम इस एरोड्रम का भी फायदा उठा सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सड़क के बारे में कहा कि उसकी हालत बहुत खराब है। इस सड़क की जानकारी में ले लूंगा और जैसा आपने कहा, यह गाड़ी चलने की स्थिति में नही है। उस सड़क को ठीक करने के लिए सरकार प्रयास

करेगी। दूसरा जो आपने कहा कि जांच हो उसके बारे मैं भी मैंने कह दिया कि जल्द-से-जल्द हम उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करेंगे।

0.03.2018/1415/बी0एस0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्या 373

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 1 जनवरी, 2018 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक वर्तमान सरकार ने कितना ऋण लिया है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिसाब हमसे ही मांगा जा रहा है, माननीय सदस्य जी ने पूछा कि 1 जनवरी, 2018 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक कितना ऋण लिया गया है। मैं अपना हिसाब भी दे रहा हूं, अगर बुरा न माने तो थोड़ा पूर्व की सरकार का भी देना चाहूंगा। 1 जनवरी, 2018 से लेकर अब तक हमारी सरकार ने मात्र 1,000/- करोड़ रुपये ऋण लिया है और उसमें वह सारी अदायगियां ऋण की, चाहे दूसरी उनको अदा करने के बाद यदि सही मायने में अगर कहा जाए तो वर्तमान सरकार ने इन तीन महीनो के कार्यकाल में जो ऋण हमारी बजह से है वह मात्र 265 करोड़ रुपये है, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राणा : माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो प्रदेश में ऋण लेने का कार्य है, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं ऋण लेती हैं और विकास कार्य आगे बढ़ाती है, बहुत चर्चा पहले भी इस पर हुई है। वर्तमान सरकार की ऋण को कम करने के लिए क्या योजना है और ये ऋण कम हो, इसके लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? क्या केन्द्र सरकार से आप कोई विशेष पेकेज लेने का विचार रखते हैं, सरकार की इस बारे क्या योजना है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी योजना तो ठीक है लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से और ऋण के मामले में हम अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लगभग 46,500/- करोड़ रुपये का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है और 46,500/- करोड़ रुपये का ऋण बहुत अधिक है। जो भी

सरकारें बनी ऋण ज्यादा लिया, कम लिया, लेकिन ऋण ले करके काम चलाती रहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछला जो पांच साल का कार्यकाल रहा, मुझे लगता है कि इसकी वजह भी हमें जानना चाहिए।

2.4.2018/1420/DT/AG/-1

प्रश्न संख्या 373.... क्रमागत

मुख्य मंत्री ___जारी..

हिमाचल प्रदेश में नये संस्थान खोलने का जो क्रम इतना ज्यादा बढ़ गया है, संस्थान के संचालन की दृष्टि से या उस संस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से यह ऋण वर्तमान में बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में पहुंचा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई भी सरकार बने ऋण लेना ही पड़ेगा। ऋण के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि ऋण कम लिया जाये। जो खर्च हम कम कर सकते थे वह हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उस दिशा में कुछ किया भी है। पूर्व सरकार बनने के बाद मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल के गठन के तुरन्त बाद 9 सी0पी0एस0 का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता है। हमारी सरकार के तीन महीने बीत गये लेकिन हमने अभी तक सी0पी0एस0 नहीं बनाये। हम राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आगे की परिस्थिति क्या बनती है, अभी कहना उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ तो वक्त निकाल रहे हैं की थोड़ा सा खर्च रोकें। आपकी दूसरी केबिनेट मीटिंग में निर्णय होता है कि सभी केबिनेट मन्त्रियों को नई कारें खरीद कर दे दी जायें। लेकिन हमारी सरकार के तीन महीने बीत गये किसी भी केबिनेट मन्त्री को अभी नई गाड़ी नहीं दी है। गाड़ियां लगभग साढ़े तीन लाख किलोमीटर तक चल चुकी और उन्हीं गाड़ियों में हमारे केबिनेट मन्त्री सफर कर रहें हैं। मैं राणा जी को भी बता रहा हूं कि हम क्या कर रहें हैं? जो गाड़ीयां खड़ी हो जायेंगी,

जो गाड़ीयां चलेंगी नहीं, साढ़े तीन लाख किलोमीटर तक चल चुकी गाड़ियों में मंत्री लोग सफर कर रहे हैं, वह गाड़ी अगर रास्ते में खड़ी हो जाती है तो उस पर विचार करना ही पड़ेगा और गाड़ियां देनी ही पड़ेगी। यह गाड़ियां हम जितना चला सकते हैं, चलायेंगे। उसके बावजूद भी जो आपने पूछा है कि आप क्या करेंगे? मैं

2.4.2018/1420/DT/AG/-2

यह कहना चाहूंगा कि हम इस प्रकार के कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन महीनें में आपके कितने चैयरमैन और वाईस-चैयरमैन बन गये थे? मैं इसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लगभग-लगभग बड़ी तादाद में अधिकांश लोग बन गए थे और काफी लोग चैयरमेन और वाईस-चैयरमैन बना दिये थे। पहले महीने में 2 तो मेरे चुनाव क्षेत्र से ही बना दिए थे।....व्यवधान... उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसमें हम अभी तक धीरे-धीरे चले हैं। उसमें इस तरह का बोझ नहीं डाला है। जी0एस0टी0 आने के बाद अब राज्य सरकार के पास राजस्व के अपने संसाधन बहुत ही सीमित रहे गये हैं। हम फोरेस्ट, माइनिंग और हाइड्रोपावर जनरेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से कदम उठाने की कोशिश करेंगें। जो रिर्सोसिज जरनेट करने की बात कही जा रही है, यह ही हमारे पास हिमाचल प्रदेश में गुजांईश है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे फोरेस्ट में खैर के कटान पर रोक लगी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तीन रेंजिज में पाइलट आधार पर जो स्वीकृति प्रदान की है, उसमें खैर की कटान की इजाजत दी गई है। मुझे लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से उस दिशा में भी यह एक कदम होगा । जिसमें नूरपुर, पांवटा साहिब और बिलासपुर की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें तीन की इजाज़त दी है और हम चाह रहे थे कि इसमें और भी इजाजत मिलती तो हम इसमें आगे बढ़ सकते थे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक आय का जरिया हमारे पास होता। उसके बाद

02/04/2018/1425/RG/AG/1

प्रश्न सं. 373---क्रमागत

मुख्य मंत्री ------जारी

खनन के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि पहले जो अवैध खनन होता थी उससे प्रदेश को राजस्व नहीं आ पाता था, उसको वैध बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि खनन वैध तरीके से हो। इससे अवैध खनन पर अंकुश भी लगेगा और वैध खनन के माध्यम से हमें राजस्व भी प्राप्त होगा और प्रदेश को आय भी होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में प्रदेश में हम अपने पांव पर खड़े हों और ऋण का बोझ कम हो। हम ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये केन्द्र से मदद मांगने की बात कर रहे हैं, तो जब इनकी पार्टी सत्ता में थी तब भी केन्द्र से मदद मांगी जाती थी और जब इनकी पार्टी केन्द्र में सत्ता में नहीं थी तब भी मदद मांगते थे। प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति ही ऐसी है कि हमें इसके लिए केन्द्र से हमेशा मदद करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा और हम जोर-शोर से इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पहले हमारी बहुत सारी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं थीं जिनमें हमें कई योजनाओं में 60:40 के हिसाब से रेशो मिलता था। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अलग-अलग शेयर रहता था, लेकिन पहले कुल-मिलाकर प्रदेश को ज्यादा शेयर देना पड़ता था। परन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब यह शेयर 90:10 हो गया है जो प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। फिर भी उसके बावजूद जहां अवसर लगेगा, तो मैं कोशिश करुंगा कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक पक्ष मैं केन्द्र के समक्ष रखूं। जहां से मदद की गुंजाइश हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, जहां से भी मिलने की गुंजाइश होगी, उसको प्रदेश हित में लेने की कोशिश होगी।

श्री रमेश चंद ध्वाला : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का आज दिन तक ऐसा काम पिछले दिनों में कोई नहीं किया गया। वन विभाग में जंगलों में कुछ टूटे हुए पेड़ हैं, कुछ जड़ों से उखड़ गए हैं और कुछ सूखे हैं

जबकि इनके वर्किंग प्लान में उन पेड़ों को काटने का प्रावधान है कि पुराने पेड़ काटकर नए पेड़ लगाए जाएं। पूरे हिमाचल प्रदेश में इतने पेड़ गिरे हुए हैं और जंगलों में उसके

02/04/2018/1425/RG/AG/2

कारण ही आग लग रही है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है, तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा के खैर के पेड़ों से ही सारा ऋण उतर जाएगा। लेकिन वहां वन काटू लगे हुए हैं और विभाग की मिलीभगत के बगैर यह काम नहीं हो सकता है। एक रेन्ज में वन काटू 60 खैर के पेड़ काटकर ले गए। चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर इत्यादि में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। वहां बहुत बड़े-बड़े 8-8 फुट के पेड़ हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न कीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वाला : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यही चाहूंगा कि क्या ये कोई ऐसा आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय, हाईडिल प्रोजैक्ट में हमारा लक्ष्य 45 हजार मेगावाट बिजली बनाने का था। परन्तु मेरे ख्याल से आज तक सिर्फ 8 या 9 हजार मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो सका है। हमारा 20% पानी ही यूज हो सका है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वन और बिजली दोनों के बारे में यहां कह दिया है, आप सीधे प्रश्न करें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : मैं पूछ रहा हूं। अभी तक तो मैं भूमिका बांध रहा हूं।

अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न करें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : मैं यह प्रश्न ही कर रहा हूं कि

02/04/2018/1430/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 373ः-------जारी--------

श्री रमेश ध्वालाः-------जारी------

क्या इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे? दूसरे, जो आपने एक-दो जगह की खैर की बात की, क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चील के पेड़ हैं और खैरों के पेड़ हैं उनको सरकारी जंगलों से काटने की स्वीकृति विभाग आपके माध्यम से देगा? मैं विभाग को भी कहने जा रहा हूं कि आप उससे रिसोर्सिज़ मोबिलाइजेशन करेंगे। इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका प्रश्न हो गया है। इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि खैर के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमैंट आई है उसके मुताबिक हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास फोरैस्ट प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और जो पेड़ गिरे हैं, सड़ रहे हैं, उनका उपयोग होना चाहिए और उनको निकालने की इज़ाजत होनी चाहिए उसके बाद उनसे आय का एक बहुत बड़ा ज़रिया खड़ा होगा। ये पेड़ बरसात के कारण गिरते हैं, तुफान के कारण गिरते हैं, बर्फ के कारण पेड़ गिरते हैं और मैं देखता हूं कि सचमुच में हम जब जंगलों में जाते हैं, अपने इलाके के जंगलों में जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े-बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं और वे सड़ रहे हैं, वर्षों से सड़ रहे हैं। यदि हम उपयोग के लिए उनसे लकड़ी निकालते हैं तो प्रदेश सरकार का यह बहुत बड़ा आय का साधन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए खुला हूं, इसके लिए सरकार खुली है अगर कानूनी तौर पर इन सारी चीजों को करने की इज़ाजत हमारे पास होगी उन सारी चीजों को हम अपनी

व्यवस्थाओं के अनुसार देख लेंगे। उस पर भी निश्चित रूप से विचार करेंगे जो माननीय सदस्य ने सुझाव

02/04/2018/1430/जेके/डीसी/2

दिया। दूसरा इन्होंने बिजली का जिक्र किया। पावर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से अध्यक्ष महोदय हमारे लिए सचमुच यह चिन्ता का विषय है। जो ऊर्ज़ा राज्य के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश की पहचान पूरे देश व दुनिया में बनी थी और एक वक्त था बहुत बड़ी तादाद में इन्वैस्टर बहुत दौड़-दौड़ कर हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजैक्ट लगाने के लिए आता था। उससे बड़ी उम्मीद भी हम लोगों को थी। जो हमारे हिमाचल प्रदेश की केपेसिटी है, मैं माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहूंगा कि 45 हजार मैगावॉट नहीं 27 हजार मैगावॉट मैक्सिमम हमारे प्रदेश में बिजली दोहन की क्षमता है। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए, आज वह वक्त आ गया है कि उन सारी बातों के ऊपर अब विचार करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारी बिजली दोहन की इस प्रदेश की क्षमता है, हम प्रदेश हित में अधिक से अधिक उसका लाभ लेंगे। इन्होंने कहा कि पॉलिसी में रिलैक्सेशन व चेंज़िज करने की बात है, यदि आवश्यकता होगी और मुझे लगता है कि आज की तारीख में आवश्यकता भी है, यदि उसमें प्रदेश हित में विचार करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से करेंगे ताकि यहां पर इन्वैस्टर्ज़ आएं जो हमारे हाईडल प्रोजैक्ट्स अलॉटिड हैं उनको भी वे पूरा कर सकें और उसके साथ जो अलॉटिड नहीं है जो अभी नये प्रोजैक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हम अलॉट कर सकें और यहां पर प्रोजैक्ट्स लगें और प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी मदद मिल सके। इन सारी की सारी बातों पर हम निश्चित रूप से खुले मन से विचार करेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट कन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि 1 जनवरी से 31 मार्च, 2018 तक कितना ऋण लिया? इन्होंने कहा कि 1 हजार करोड़ रूपया लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ऋण लिया और ऋण की जो री-पेमैंट करनी थी उनको हटाने के बाद 265 या 264 करोड़ रूपए का ऋण लिया। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी स्टेटमैंट को ठीक करें। दूसरे, माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि सी0पी0एस0 बना दिए,

चेयरमैन बना दिए और बड़ी चतुराई से ये राजनीतिक उत्तर दे रहे हैं। यहां पर सारे ही मंत्रियों को चतुराई से उत्तर देनें की आदत बन गई है ।

02.04.2018/1435/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 273 क्रमागत

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागतः

हमारा सवाल परटीकुलर यह है कि पिछली सरकार जो थी उसने केवल 1 जनवरी, 2013 से लेकर जब तक हमारी सरकार नहीं बनी तो 18 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था। जो आपने तीन महीने में एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया है, आने वाले समय में जो पांच वर्ष तक आपकी सरकार चलेगी तो तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये का और ऋण होगा। क्योंकि अभी सातवां पे कमीशन भी लागू करना है तो 46 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ तक कर्ज़ा पहुंचेगा।

अध्यक्षः आप जवाब दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः सर, मैं सवाल पर आ रहा हूं। इन्होंने भी उत्तर बड़ा लेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर बड़ा घुमा-फिराकर दिया है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्री 40-40 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं। अभी अखबार में खबर छपी है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने लोन एक हजार करोड़ रुपया लिया और कुल पांच वर्षों तक आपकी सरकार रहेगी। हमारी सरकार ने 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 दिसम्बर, 2017 तक सिर्फ 18 हजार करोड़ लोन लिया था। क्या आप पांच वर्षों तक इससे कम लोन लेंगे? उससे पहले तो आपकी सरकार हमको विरासत में कर्ज़ देती रही।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत आगे तक का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। हिसाब तो जो अभी तक का कर्ज़ा है वह लेना चाहिए। अगला हिसाब तो इतना सरल नहीं है। मुझे लगता है कि ये मान कर चल रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल तक चलने वाली है इसलिए अगला भी हिसाब साथ-साथ मांग रहे हैं। इसको भी हम देने की कोशिश करेंगे। जो आपने कहा था कि जब से हमारी सरकार बनी है, एक जनवरी से आप ज़िक्र कर रहे

हैं, तीन महीने के कार्यकाल के संदर्भ में मैं दो फिगर्ज़ आपको पहले भी क्लीयर कह चुका हूं कि हमने ग्रोस लोन एक हजार करोड़ रुपया लिया लेकिन नेट लोन 265 करोड़ रुपये है।

दूसरा, जो आप आगे की बात कह रहे हैं --(व्यवधान)--

02.04.2018/1435/SS-DC/2

अध्यक्षः इनको पूरी बात करने दीजिए प्लीज़।

मुख्य मंत्रीः आगे जो आप बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम अनावश्यक लोन नहीं लेंगे। कोशिश यह करेंगे कि सीमित साधनों में जितना प्रदेश को चला सकते हैं उतना चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रदेश में विकास के रास्ते में धन का अभाव नहीं होगा। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए चाहे हमको केन्द्र से मदद लेनी पड़ेगी, वह लेंगे और जहां पर ऋण लेने की बात होगी, उस तरह से वह भी लेने की बात कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि हम जो संविधान के अनुच्छेद 293 का ज़िक्र कर रहे हैं उसके अनुरूप हमारी लोन लेने की जो परिधि होगी, एक वाइंडिंग होगी जिससे ज्यादा हम लोन नहीं ले सकते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं।

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के दौरान अगर पांच वर्षों तक लोन की बात कहें तो 18787 करोड़ नेट लोन लिया है। यह ग्रोस लोन नहीं है। यह बहुत ज्यादा अन्तर है। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय प्रदेश की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि लोन के बिना किसी भी सरकार का चलना सम्भव नहीं है। अगर विकास भी करना है और सारी चीज़ों को लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो उसमें लोन लेना आवश्यक है लेकिन लोन ज्यादा न लिया जाए, कम लिया जाए, हम केन्द्र की मदद जहां पर जितनी भी ले सकते हैं उसके माध्यम से काम कर सकें, ऐसी हमारी मंशा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार जो कर्ज़ लेने की कांस्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उसके अंदर ही कर्ज़ा लेगी। क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे पहले ये लिमिट्स ब्रेक हुई हैं? प्रदेश की जो कर्ज़

लेने की सीमा निर्धारित है आप उसके अंदर कर्ज़ लेंगे और पहले की सरकार पर आप दोषारोपण कर रहे हैं क्या उसमें ये लिमिट्स ब्रेक हुई हैं?

ये जो आप 46 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़ें की बात कर रहे हैं क्या आप इस हाउस में रैजोल्यूशन लेकर आयेंगे कि केन्द्र सरकार 46 हजार करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश को बेल आउट पैकेज दे?

2.04.2018/1440/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्याः 373 जारी----

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी----

और यहां दोनों तरफ से उसको पारित करके केन्द्र को भेजा जाए कि यह 46 हजार करोड़ रुपया बेल आउट पैकेज हिमाचल को दिया जाए।

तीसरे, आप माइनिंग की बात कर रहे हैं। माइनिंग में हमने ऑक्शन की पॉलिसी शुरू की थी और इस समय भी mining all time high है । अभी डमटाल में कत्ल हो गया और हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हुआ है कि माइनिंग में किसी की जान चली जाए। थोड़े-बहुत हमले ज़रूर होते थे ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या आप पूरे प्रदेश में बिजली के डोमैस्टिक रेट बढ़ाने जा रहे हैं? कन्ज्यूमर्ज़ पर बोझ डालने जा रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा था, थोड़ा पर्दा रख रहा था। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या पहले लोन की अपर लिमिट एक्सीड हुई है? मैं यह बताना चाहता हूं कि हां, यह एक्सीड हुई है और आपकी सरकार के ही समय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में यह सीमा ब्रेक हुई है। हम कोशिश करेंगें कि आगे न हो । दूसरी जो आपने माइनिंग वाली बात की, माइनिंग रोकने के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से उसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, माइनिंग कानून के तहत हो और हम पूरी योजना बना कर तैयार कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग जहां पर भी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। जिस घटना का आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो भी उसमें कानून के दायरे में बनता है, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगें लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माइनिंग हमारे हिमाचल प्रदेश में आय का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता था लेकिन अगर इसकी पॉलिसी बना कर इसको लागू किया होता । आने वाले समय में हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगें।

अध्यक्षः अन्तिम सप्लीमेंटरी। श्री राकेश सिंघा जी।

2.04.2018/1440/केएस/एचके/2

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बात से तो सहमत है कि राज्य चलाना है तो लोन लेना पड़ेगा। वह चाहे कोई भी सरकार हो। उसमें दो राय नहीं है लेकिन जो अपने राज्य के हमारे साधन बनते हैं, जिनके कुछ हिंट भी दिये आपने लेकिन गोल-मोल बात की है। स्पष्ट है कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा के मुतल्लिक फैसला दिया कि 1966 के बाद जो हमारा हिस्सा बनता था, वैसे तो यह 7.19 के आधार पर कैल्कुलेट होना चाहिए, यह चार हजार करोड़ से अधिक बनता है और यह दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और यह केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हिमाचल प्रदेश इस फैडरल यूनियन का एक हिस्सा है । क्या यह उनका फर्ज़ नहीं बनता है? अगर आप अकेले नहीं, मेरा तो यह कहना है कि पूरा सदन irrespective of the political parties, we should take this share. तब हम लोनों से बचेंगें। दूसरा, हमारे जंगलों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो आय आ सकती थी, रख-रखाव तो करे हिमाचल प्रदेश और जब आय की बात आएगी तो आप उसका दोहन नहीं कर सकते हैं। सिल्वीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक इकट्ठी ताकत अगर हम बनाएंगें, चार जो हमारे एम.पी. हैं, वे भी तो केन्द्र में चाहे किसी की भी सरकार बने, हमें बिल्कुल नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है, हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसीलिए एक कलैक्टिव एफ़र्ट के ज़रिए जो

हमारे अधिकार बनते हैं, ये आप लेने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? और आपका प्रपोज़ल क्या है, आप कैसे विजुअलाइज़ करते हैं

2.4.2018/1445/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 373---------- क्रमागत

श्री राकेश सिंघा---- जारी

कि हिमाचल प्रदेश का यह हिस्सा हम हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कैसे लायेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पश्चात हिमाचल प्रदेश को सचमुच में एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। हमें भाखड़ा से वर्ष 1966 के बाद 7.19 प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए था जो कि हमें वर्ष 2011 से मिल रहा है। इस मामले को जोरदार ढंग से उठाने की सचमुच में आवश्यकता है। हमें सामूहिक रूप से, राजनीति छोड़कर इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से कहीं से भी मदद मिले; हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अटार्नी जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने बारे कोशिश की जा रही है। मगर अभी भी इसमें कठिनाई तो है लेकिन आने वाले समय में जैसा कि आपने सुझाव दिया है। यह अच्छा सुझाव है कि इसके लिए चाहे सांसदों की मदद लें या यहां इस मान्य सदन में बैठे हम सभी सदस्य मिल-जुलकर कोशिश करें ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा बांध प्रोजैक्ट के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा पैसा इस सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन्ज के मुताबिक ले सकें और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे।

2.4.2018/1445/av/hk/2

प्रश्न संख्या : 374

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां रोजगार और स्वरोजगार की बहुत बातें की जाती हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि फिश लैंडिंग सैंटर सुन्नी के लिए जो 30 लाख रुपये रखे गये हैं और साथ में कोल डैम सुन्नी में 2.25 लाख रुपये के मच्छी के अण्डे डाले गये हैं उसके अंतर्गत आने वाले समय में वहां के केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? मैं इसको इस कॉंटैक्स्ट में पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत सारे बंगाली और दूसरे प्रदेशों के लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। हालांकि I am not very xenophobic view. मैं बाहर और अंदर का नहीं चाहता मगर निश्चित तौर पर प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। Firstly, is the Government committed to take some stand, so that the priority for the employment in that area is given to local people. दूसरा, वहां जो 296.97 लाख रुपये में माहसीर हेचरी-कम-कार्प ब्रीडिंग युनिट बनाना निश्चित किया है यह कितने समय में बनाया जायेगा? इसके अतिरिक्त उत्तर में जो 400 फेमिलीज के बारे में बात की गई है कि इसके तहत उनको डायरैक्ट और इनडायरैक्ट रोजगार मिलेगा। हालांकि इसके लिए वहां पर एक कोअप्रेटिव सोसायटी सैटअप की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को इसके अंतर्गत कैसे जोड़ा जायेगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का 'क' व 'ख' भाग के रूप में विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कोल डैम का वर्ष 2015 में विधिवत् रूप से उद्घाटन हुआ था। वर्ष 2016 में वहां पर मत्स्य पालन की ओर कार्रवाई शुरू की गई थी।

02.04.2018/1450/TCV/YK-1
प्रश्न संख्या : 374....जारी...

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री..... जारी।

इसमें 6 को-ओपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई थी। ताकि लोगों को रोज़गार मिले सके और स्किल डेवैल्पमैंट के माध्यम से कुछ मच्छवारों को ट्रेंड भी किया गया था। उसके माध्यम से करीब 400 लोगों को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। सुन्नी में 'नगर' नामक स्थान में ये हैचरी बनाई जा रही है, इसमें सीड डाला जाएगा। उसकी कमी को देखते हुए महासीर-हैचरी-कम-क्रॉप ब्रिडिंग सेंटर वहां पर स्थापित हो रहा है। इस तरह से मच्छवारे मछली पालन का कार्य करेंगे और उनके लिए 30-30 लाख रुपये से लैंडिंग सैंटर बनाये जा रहे हैं। इन लैंडिंग सैंटर में वे जो मछली पकड़कर लाएंगें उनको बेचा जा सकता है। नगर में ये जो हैचरी बनाई जा रही है, ये 2 करोड़ 96 लाख 97 हजार रुपये से बनाई जा रही है। इसको बनाने का कार्य एच0पी0एस0आई0डी0सी0 को सौंपा गया है। उनको यह कार्य अवॉर्ड भी कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये जो मछली पालन का कार्य वहां शुरू हुआ है, उसमें पहले वर्ष 2015-16 में 1500 किलोग्राम मछली पकड़ी गई। वर्ष 2017-18 में 2500 किलोग्राम का उत्पादन हुआ है। इस तरह से धीरे-धीरे यह उत्पादन बढ़ रहा है और मछली पालक भी इस उत्पादन के साथ जुड़ रहे हैं। वे इसको अपना व्यावसाय बना रहे हैं। इस व्यावसाय में रोज़गार की संभावनायें तराशने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी हम नौज़वानों को रोज़गार देने के लिए वहां पर मनरेगा के माध्यम से डैम बनाकर देंगे। उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इस तरह से हम नौज़वानों को मछली पालन से जोड़ेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि what are the intention of the Government and how are they going to protect the interest of the local youth of that area? उन्होंने कहा है कि इसमें को-ओपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी कोई एश्योरेंस देगें कि लोकल युथ के इंट्रस्ट को इसमें कैसे प्रोटैक्ट किया जाएगा? जैसे मैंने शंका जताई है कि so called Bengali and other people from

02.04.2018/1450/TCV/YK-2

outside the States वहां पर बसने शुरू हो गये हैं. इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से एश्योरेंस चाहता हूं। क्योंकि वहां लोकल युथ हमें पूछते हैं कि लोकल युथ को कैसे प्रोटैक्ट किया जाएगा?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः मैं माननीय सदस्य को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो लाईसैंस दिए जाते हैं और दिए जाएंगें, ये सिर्फ स्थानीय लोगों को ही दिए जाएंगे।

02.04.2018/1450/TCV/YK-3

प्रश्न संख्याः 375

श्री सतपाल सिंह रायजादा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो बन्दोबस्त का काम है, ये काफी लम्बे समय से चल रहा है और बहुत-सारे ऐसे गांव है, जहां बन्दोबस्त नहीं हुआ है। मैं खुद लालसिंगी गांव से हूं जिसका बन्दोबस्त पिछले 40 साल से नहीं हुआ है, न ही इसकी तकसीम हुई है। इससे हमारे गांव वासियों को बहुत ज्यादा प्रोब्लम आ रही है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि

02-04-2018/1455/NS/YK/1
श्री सतपाल सिंह रायजादा ---- जारी।

ये जो बन्दोवस्त के एस0ओज0 या ए0एस0ओज0 आदि के साथ जितने भी पटवारी हैं, अगर इनसे यह प्रश्न किया जाता है कि यह बन्दोवस्त कब तक खत्म होगा, एक साल, दो साल या पांच साल ? इस पर इनका जवाब यह होता है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि यह कब तक खत्म होगा? क्या मुख्य मंत्री महोदय इसके लिए टाईम फिक्स करेंगे कि यह कब तक खत्म होगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो हमारा बन्दोवस्त का काम है, हमारा राजस्व के मैनुअल के अनुसार लगभग 35 या 40 वर्षों में इसको पूरा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब इस

बन्दोवस्त को किया जाता है तो इसकी प्रोसैस लम्बी होती है। इसमें सारी ज़मीन नापी जाती है और ज़मीन में हिस्सेदारियां बहुत स्थानों पर चेंज हो जाती हैं। जो संस्थान खुले होते हैं, उन संस्थानों की एंटरीज़ भी इसमें होती हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसमें समय लगता है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने ऊना का ज़िक्र किया है तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम पूरे ऊना जिले के बन्दोवस्त की बात करें तो वहां पर बन्दोवस्ती का काम समाप्ति की ओर है। यहां वर्ष 1980-81 में बन्दोवस्त का कार्य आरम्भ हुआ था। इस ज़िला में 868 मौहाल हैं तथा 847 मौहालों में बन्दोवस्त का कार्य सम्पन्न हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुल 18 मौहालों में काम प्रगति पर है और शेष 3 मौहालों में बचा हुआ काम अभी करने को है। आपने विशेष तौर पर यहां एक ज़िक्र किया तो मुझे लगता है कि शायद यह आपका अपना मौहाल पड़ता है। आपने रायसेरी निचली का ज़िक्र किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पैमाइश जारी है और **यह वर्ष 2017 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 2023 तक समाप्त कर दिया जाएगा**। इसमें थोड़ा-सा लम्बा समय लगता है। पहले हमारे पास स्टॉफ की बड़ी भारी शोर्टेज़ रहती थी, इसमें वह भी एक कारण था। लेकिन मुझे अब इस बात की खुशी है कि 242 पटवारियों को पिछले महीने लगा दिया गया है। अब यह काम प्रगति पर आगे बढ़ेगा। अगर आप समय की बात करें तो यह काम थोड़ा कठिन होता है। हम कोशिश करेंगे कि जो काम बन्दोवस्त का चला हुआ है, ये जल्दी-से-जल्दी पूरा हो जाये। आने वाले समय में यह काम नई टैक्नोलोजी के साथ हो क्योंकि यह काम जटिल और कठिन है और इसको करने में बहुत कठिनाई आती है। अगर हम

02-04-2018/1455/NS/YK/2

कर्मचारियों को सैटलमैंट में लगाते हैं, चाहे वे कानूनगो या पटवारी हैं, वे जाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। क्योंकि ज़मीन पर खड़े हो करके उनको ज़रेब पकड़ करके काम करना पड़ता है। यह उनके लिए एक प्रकार की समस्या रहती है। इसके कारण थोड़ी-बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय में जो आप पूछ रहे हैं, इसको हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जी0पी0एस0 प्रणाली जब प्रभावी ढंग से लागू होगी तो मुझे लगता है कि इस काम को हम और भी जल्दी से पूरा करने की स्थिति में हो पायेंगे।

02-04-2018/1455/NS/YK/3

प्रश्न संख्याः 376

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल्दी से एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहूंगी। क्योंकि समय भी हो गया है। आपने कहा कि एफ0आर0ए0 सर्टिफ्किेट अभी फोरैस्ट कमेटी के पास से नहीं आया है। ग्रामीण एरियाज़ में जो एफ0आर0ए0 सर्टिफ्किेट है, that is defined under the FRA आप वन मंत्री भी हैं। अर्बन एरियाज़ में FRA सर्टिफिकेट क्या कम्प्राईज़ करता है? क्योंकि अर्बन एरिया में डिफाईन नहीं है। यही कारण है कि यह सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत आ रही है। इसका आप पता कर लें। अभी समय भी नहीं है। यह चाहें तो इसका जवाब बाद में मुझे दे दें या बात कर लें। एक तो यह पता कर लें कि एफ0आर0ए0 सर्टिफ्किेट अर्बन एरियाज़ के लिए क्या है?

02.04.2018/1500/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 376... जारी

श्रीमती आशा कुमारी... जारी

दूसरा, अगर यह उस परिधि में नहीं पड़ता है rather than wait, forest Clearance को लेने का जो नॉर्म्ल प्रोसैस है उसमें डाल दें, ताकि कम-से-कम क्लीयरैंस आ जाए।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जिस एफ.आर.सी., कमेटी रिपोर्ट के कारण यह काम रूका पड़ा था, दिनांक 8 फरवरी, 2018 को एफ.आर.सी. कमेटी जो डिवीजनल लैवल कमेटी है, से एन.ओ.सी. मिल गया है। अब जिलाधीश से रिपोर्ट आनी है। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम बस अड्डा भी बनाएंगे और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध करवायेंगे।

प्रश्न काल समाप्त

02.04.2018/1500/RKS/AG-2

<u>सप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 शासकीय /विधायी कार्य ।

मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018 शासकीय /विधायी कार्य ।

बुधवार, 4 अप्रैल, 2018 शासकीय /विधायी कार्य ।

वीरवार, 5 अप्रैल, 2018 1. शासकीय /विधायी कार्य ।
2. गैर-सरकारी सदस्य कार्य।

02.04.2018/1500/RKS/AG-3

<u>कागज़ात सभा पटल पर।</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ काग़जात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 2017 जोकि

अधिसूचना संख्याःफिन(टीआर)ए(3)11/2004-शिमला-9 दिनांक 23.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.10.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय वन मंत्री कुछ काग़जात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शिक्षा मंत्री कुछ काग़जात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16(विलम्ब के कारणों सहित) ।

02.04.2018/1500/RKS/AG-4

<u>सदन की समिति के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः इससे पहले कि मैं नियम-62 के लिए अगले सदस्य को बुलाऊं, मैं एक सूचना माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी की ओर से देना चाह रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज सायं 7.00 बजे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एच.आई.वी. एड्स रोकथाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन होटल पीटरहॉफ, शिमला में किया जा रहा है। साथ ही ट्यूबरक्लॉसिज के संबंध में भी यहां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तदुपरान्त सभी माननीय सदस्यों के लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था है, आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। ऐसा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी की ओर से आग्रह है।

02.04.2018/1500/RKS/AG-5

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब मैं नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए श्री जगत सिंह नेगी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय मंत्री जी के उत्तर सहित कुल आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। जिसका टैक्सट निम्न प्रकार से हैः-"हाल ही में प्रदेश में असामाजिक तत्वों द्वारा दर्ज़नों विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति"की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

02.04.2018/1505/बी0एस0/ए0जी0-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सभ्य समाज में आप जानते है कि सभी सरकारों का एक विशेष काम रहा है, कोई भी कार्य चाहे भवन निर्माण का हो चाहे, सड़क निर्माण का हो, चाहे कोई भी अन्य कार्य हो उसके शुभारंभ के लिए शिलान्यास रखने की एक परम्परा है और जो कार्य पूर्ण हुए हैं, उनका उद्घाटन करने की परम्परा प्रदेश में है। मैं समझता हूं जो शिलान्यास और उद्घाटन करने की जो परम्परा है इसके पीछे जहां नया काम शुरू किया जा रहा है या कार्य पूर्ण हो रहा है उसमें खुशी का इजहार किया जाता है । इस माध्यम से हम जनता को भी सूचित करते हैं कि यह कार्य आपके क्षेत्र में हो रहा है। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि सरकार बदलने के बाद बहुत सारे जो कार्य पूर्व कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, उन कार्यों के चाहे शिलान्यास थे चाहे उद्घाटन किए गए थे इन पट्टिकायों को तोड़ने का काम बड़ी तेजी से हुआ और इस कार्य के लिए शक की सूई वह निश्चित तौर पर वर्तमान की जो सरकार है वे भारतीय जनता पार्टी सरकार से संबंधित लोगों पर हैं उन्हीं पर जाती है। कोई भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए विचारों वाला व्यक्ति इस

कार्य को नहीं कर सकता। इस समय मेरे जिला किन्नौर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पिछले तीन महीनों में कई दर्जनों इस तरह की पट्टिकाएं तोड़ी गई, चाहे वे शिलान्यास की हैं चाहे वे उद्घाटन की है। इस तरह से लाखों रुपये की धनराशी का नुक्सान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य, मंत्रिगण इन पट्टिकाओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि फट्टे लगाए गए, इस तरह भी भाषा का प्रयोग सरकार की ओर से जब होता है तो बाहर जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनको एक प्रकार का सिगनल जा रहा है कि यह जो फट्टे लगे हैं इनको कैसे समाप्त किया जाए। आजकल आपकी सरकार बनी है माननीय मुख्य मंत्री जी हर दूसरे-तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश में आप भी दौरा करते हैं, बहुत सारे शिलान्यास आप कर रहे हैं बहुत सारे उद्घाटन जिनका कार्य हमने पूरे किए उसका भी उद्घाटन आप कर रहे हैं। हर स्थान पर न पट्टिकाओं को लगा रहे हैं,

02.04.2018/1505/बी0एस0/ए0जी0-2

मैं उन्हें फट्टे नहीं कहूंगा जैसा आप कहते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनको तोड़ कर आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था आज पूर्णरूप से फेल हो गई है। आज मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले तीन महीने में 12 पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं, जिसमें करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हुआ था, भवनों का निर्माण हुआ था, पुलों का निर्माण हुआ था और सभी कार्यों में बजट का प्रावधान किया गया था और यह कार्य पूर्ण भी हुए थे। करीब-करीब 12 पट्टिकाओं की फोटोग्रेफ्स में माननीय सदन पर रख रहा हूं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे सदन में इस बारे सी.डी. को चलाने की अनुमति दी जाए। परंतु उसकी अनुमति मुझे नहीं मिली । आपने मेरा एक जो निवेदन था उसे नकार दिया। मैं सी.डी. के माध्यम से यह बताना चाहता था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य हो रहा है। कितना सिरियस ये ऑफेंस हुआ है। लेकिन मैं इसे फोटोग्राफ्स के माध्यम से यहां पर दे रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि यह कार्य आपके इशारे पर हुआ है परंतु जो भी हुआ है वह संकीर्ण सोच के कारण हुआ है। यहां पर हमारे प्रधान

मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने ने भी यहां पर AIIMS का जो भवन बनना है उसका शिलान्यास करना है, अगर इसको कोई तोड़ दे, तो हम समाज को क्या संदेश देंगे। इसके ऊपर अवश्य चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की है, एफ.आई.आर. दर्ज करने के बावजूद अभी तक एक भी केस में कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है।

2.4.2018/1510/DT/DC/-1

श्री जगत सिंह नेगी... जारी

उनके नाक के नीचे जिला मुख्यालय रिकाँग- पिओ, किनौर में शिलती संर्पक सड़क जिसका कार्य 1960 में शुरू किया गया था, उस कार्य को वर्ष 2017 में पूर्ण किया गया। जिसमें करीब-करीब 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। उसकी पट्टीकाएं ही तोड़ दी गई। इसी तरह निचार गांव में चार जगह पर जिसमें बास्केट बॉल कोर्ट जो करीब 30लाख रुपये से बना था, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ था, उसकी पट्टीकाएं तोड़ दी गई। निचार गांव में पैदल चलने के लिए एक 29 लाख रूपये की स्कीम थी जिसमें पैसे का प्रावधान भी किया गया था, उसकी पट्टीकाएं भी तोड़ दी गई। स्पीलो में जो 40 लाख रूपये की एक पार्किंग बननी थी, उसके स्थल के लिए PWD को पैसा जमा करवा दिया गया था, उसकी पट्टीकाएं तोड़ दी गई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अन्य इलाको में भी पट्टीकाएं तोड़ दी गई। फागू में जो पुर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने शिलान्यास किया था उसकी पट्टीका तोड़ दी गई। उसका फोटो ग्राफ यहां पर है। इसी तरह से हमारे सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र मंडेर सड़क निर्माण के शिलान्यास की पट्टिका तोड़ दी गई। ब्रीज बटेरा की पट्टिकाएं तोड़ दी गई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपके राम राज्य में क्या हो रहा है? यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थय मंत्री जी के इलाके में भी पट्टिकाएं टूट रही है। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक फैसला कीजिए या तो आप

पट्टिकाएं लगाना बंद कर दीजिए ताकि जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है वह बर्बाद न हो। दूसरा, जितनी भी पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं, क्या आप आदेश करेंगे कि इनको पुनः ठीक करवाएंगे ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो कि अगर समाज के अंदर पब्लिक प्रोपरटी को कोई तोड़ता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं बातों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगें। अब मूर्तियां तोड़ने का भी समय आ गया है। जहां पर सी.पी.एम. की सरकार चले गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई वहां पर सबसे पहले लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह एक संकीर्ण सोच है। उस सोच से हमें बाहर निकलना है। धन्यवाद।

2.4.2018/1510/DT/DC/-2

अध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं स्वास्थ्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई नेगी जी ने बात कही है और विशेष रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्री और नेगी जी के ध्यान में ला रहा हूं कि वर्ष 2012-2017 के बीच में हमारे क्षेत्रों में जो पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी या मंत्रियों जी ने जो शिलान्यास किए थे, साथ में जो उद्घाटन की पट्टिकाएं लगाई थी और जब पट्टिकाओं की बात आती है तो पीछे से जितनी भी पट्टिकाएं लगी हैं उन सब की जांच की जाए कि कितनी पट्टिकाएं टूटी हैं? जहां-जहां टूटी हैं उसके बारे में कोई-न-कोई संज्ञान हमारी सरकार लेगी। लेकिन यह एक प्रोसैस है जब कोई सरकार बदलती है तो उस वक्त कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सरकार के बीच में हैं,वे इस प्रकार की घिनौनी हरकते करते हैं। इस सदन के बीच में बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं होता है। बुद्धिजीवि लोग भी ऐसा कोई इशारा नहीं करते हैं। लेकिन शरारती तत्व ऐसा कार्य करते हैं।

02/04/2018/1515/RG/DC/1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब किसी भवन या योजना का शिलान्यास या उद्घाटन होता है, तो इस माननीय सदन में जो लोग चुनकर आए हैं, उनको यह एक अवसर होता है और मनुष्य जीवनभर उस पट्टिका के नाम से वहां जाना जाता है। यहां तक की जब वह मनुष्य इस दुनिया में नहीं रहता तब भी यह अंकित रहता है कि इस भवन या योजना का शिलान्यास या उद्घाटन कब और किसने किया था। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह एक चिन्ता का विषय है क्योंकि इसमें जहां सरकारी पैसा लगा है और इन पट्टिकाओं को तोड़ने का क्रम आज से नहीं चल रहा है। यह काफी लम्बे समय से चल रहा है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसको रोकना चाहिए। ये सारी चीजें माननीय सदस्य श्री नेगी जी जो कह रहे थे और यह इस छोटे से कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसी घटनाएं बहुत पहले से हो रही हैं। चाहे घटनाएं आज हो रही हैं या पहले हुई हैं, मुझे लगता है कि इनको रोकने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में न हों।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें मूलरूप से यहां उठाई थीं, तो मैं यहां जानकारी के रूप में ये बातें बताना चाहता हूं। मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं उसको यहां माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश में शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़े जाने के सन्दर्भ में वर्ष 2017 में 22 अभियोग व वर्ष 2018(फरवरी तक) 04 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इस प्रकार पूरे प्रदेश में इस वर्ष चार मामले पंजीकृत हुए। इस वर्ष में पंजीकृत 04 अभियोगो में से 01 जिला कांग़डा, 02 जिला बिलासपुर तथा 01 जिला चम्बा में पंजीकृत हुए हैं जिनमें मामले दर्ज़ हुए।

जिला लाहौल एवं स्पिति, कुल्लू व सोलन मे कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। अन्य जिलों में पंजीकृत अभियोगों के विवरण का यदि मैं जिक्र करना चाहूं, तो निम्न प्रकार से कर सकता हूं :-

02/04/2018/1515/RG/DC/2

क्र0 सं0	जिला	वर्ष		कुल अभियोग
		2017	2018 (28.2.18)	
1.	मण्डी	01	-	01
2.	हमीरपुर	01	-	01
3.	पुलिस जिला बददी	01	-	01
4.	ऊना	01	-	01
5.	शिमला	03	-	03
6.	सिरमौर	03	-	03
7.	कांगडा	05	01	06
8.	बिलासपुर	01	02	03
9.	चम्बा	01	01	02
10.	किन्नौर	05	-	05
	कुल	22	04	26

इस प्रकार से पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर जो मामले दर्ज़ हैं उनकी संख्या 26 है।

अध्यक्ष महोदय, यदि मैं किन्नौर जिले के बारे में विस्तार से कहना चाहूं, तो मुझे लगता है कि वे सारी चीजें आपके ध्यान में हैं ही।

02/04/2018/1520/जेके/एचके/1

मुख्य मंत्रीः----------जारी-----

अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि ये सारी चीजें जो होती है, यह आम आदमी नहीं करते केवल कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग तो इस हद तक करते हैं जो बहुत ज्यादा खराब लगती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं, पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री था। एक दिन मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में हमारे पंचायत थाच-बहैली में आई0पी0एच0 की एक स्कीम पड़ती है। उसमें मुझे एक पानी की स्कीम का शिलान्यास करने के लिए जाना था। जब मैं रास्ते से जा रहा था तो जो वहां पर उस शिलान्यास के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे पार्टी के साथी थे और अधिकारी काम कर रहे थे, उनका मुझे फोन आता है कि आप थोड़ा रुक जाओ और थोड़ी देर से आओ। मैंने कहा कि हमें पहले से ही देरी हो गई है और ज्यादा देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बस कुछ जरूरी बात है आप थोड़ी देर से आओ। उन्होंने मुझे संकोचवश नहीं बताया और लगभग दो घण्टे मुझे रास्ते में रुकना पड़ा। वहां पर जब पहुंचा और जब मैंने उस उद्घाटन की पट्टिका की पूज़ा करने के पश्चात् रस्म पूरी की तो देखा कि सामने ताज़ा-ताज़ा स्टोन लगाया है लेकिन उस स्टोन पर पेंट से लिखा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि यह क्या किया है? उन्होंने बताया कि हम आपको बता नहीं पाए क्योंकि जो उद्घाटन की शिला पट्टिका लगाई गई थी, रात को एक बजे के करीब कोई आदमी आ करके उसको उखाड़ कर, फेंक कर चला गया। कहां फेंकी, वह उनको नहीं मिली इसलिए दूसरी पट्टिका इतने कम समय में बनाना सम्भव नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने स्टोन ले कर पेंट से लिख दिया और फिर इसे यहां पर लगा दिया। इस हद तक जाते थे। इस पर

मामला दर्ज़ हुआ। जब मामला दर्ज़ होता है तो एक पार्टी के पदाधिकारी उसमें शामिल होते हैं और कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि उन लोगों के ही माध्यम से संदेश आता है कि वह पट्टिका कहीं इधर-उधर पड़ी होगी। मालूम पड़ा कि वह पट्टिका तोड़ी नहीं थी वह एक नाले में फेंक रखी थी। ऐसी परिस्थितियां एक नहीं अनेक हैं। मेरी बालीचौकी में मैंने आई0पी0एच0 के एक रैस्ट हाऊस का

02/04/2018/1520/जेके/एचके/2

शिलान्यास किया ।जो मेरे नाम का पत्थर वहां पर लगा था, घन ले जा करके वह तो तोड़ा ही तोड़ा लेकिन जो पैडस्ट्रियन रोड़ वहां पर बना था उसको भी घन से पूरी तरह से तोड़ दिया। एक पुल टूट गया जो हमारा बंजार वैली को लारजी से आगे जोड़ता था, धामन पुल है। वह एकमात्र पुल है जो पूरी की पूरी बंजार घाटी को जोड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। वह पुल टूट गया। टूटने के बाद हमने उसके लिए तुरन्त पैसे का इंतज़ाम करके दो करोड़ रूपए से वह पुल वहां पर तैयार किया और एक महीने के अंदर उसको बना कर उसका उद्घाटन कर दिया। श्री गुलाब सिंह जी उस वक्त लोक निर्माण मंत्री थे। लोक निर्माण मंत्री के साथ हम लोग भी थे और खिमी राम जी भी मंत्री थे । हम सभी लोग इकट्ठे हो करके उसका उद्घाटन करके आए। उद्घाटन करने के बाद रात को कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रक लाया और उसके पीछे जो डाला होता है, वहां पर उद्घाटन की पट्टिका लगी थी, पैडस्ट्रियन बना था, उसकोर पूरे ज़ोर से डाला मार करके नीचे फेंक दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाएं हुई है। (व्यवधान) पिछली बार आपकी सरकार बनी जब सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो पूरे जश्न के माहौल में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग भी यहां पर आए थे। वहां पर एक जगह एक पंचायत में मैंने एक पैदल पुल का शिलान्यास किया था। जब वे लोग रात को यहां से वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस पुल में लगे हुए पत्थर को तोड़ा। आज तक उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज़ है। थाची में पी0डब्ल्यू0डी0 रैस्ट हाऊस, जिसका शिलान्यास मैंने किया हुआ है, उसका एक-एक

टुकड़ा घन से तोड़ कर वहां ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मामला दर्ज़ करने के लिए बोला लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। । एक मेरे चुनाव क्षेत्र में सोमनाचन का स्कूल है और थाची में एक पानी की स्कीम है । अध्यक्ष महोदय, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आज से नहीं बल्कि कई सालों से यह क्रम चला हुआ है लेकिन मेरा यह मानना है कि यह नहीं होना चाहिए। यह गलत है।

02.04.2018/1525/SS-HK/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

यह परम्परा गलत है। यह कल्चर गलत है। उन सारी चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को इस बात को कहना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को ले करके क्या हो जाता है कि शिलान्यास एक बार हुआ, दूसरी बात भूमि पूजन और तीसरी बार कुछ और करने की कोशिश होती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल, बालीचौकी का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद एक नेता बोलता है कि इसका शिलान्यास दोबारा करेंगे। उसका बाकायदा ऐज़ मिनिस्टर फाउंडेशन स्टोन किया, उसकी AA&ES ली हुई थी। सारी चीज़ें करने के बाद फिर दोबारा से उसका पत्थर लगा दिया गया। ऐसी चीज़ों को लेकर हमको कुछ बातों में एहतियात करनी है। इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनको भी हमको निश्चित रूप से चैक करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में जहां भी कोई दोषी पाया जाता है, हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

यहां पर माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इनके विधान सभा क्षेत्र में पट्टिका को तोड़ दिया गया तो क्या उसको रिस्टोर करेंगे। **मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अगर इस प्रकार का किसी भी सरकारी स्कीम का शिलान्यास या उसके उद्घाटन की रस्म हुई है और उसके पश्चात् वहां पर उस पट्टिका को नुकसान पहुंचाया गया या तोड़ा गया है तो कानून के दायरे में उसमें जो कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई की जायेगी। उसके साथ-साथ विभाग को भी मैं इस बात के लिए आदेश करता हूं कि सारे विभाग सुनिश्चित करें कि अगर शिला पट्टिका तोड़ी गई है तो वहां पर शिला**

पट्टिका नई लगाई जाए। अगर उद्घाटन पट्टिका भी तोड़ी है तो वहां पर नई पट्टिका लगाई जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। लेकिन इस सारी चीज़ को ले करके हम दोनों तरफ के लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के ही लोग करते हैं बल्कि बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको किसी बात को ले करके ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है। उनका राजनीतिक दृष्टि से कुछ लेना-देना नहीं होता है लेकिन शरारती तत्व हैं उनको लगता है कि यह नाम नहीं चाहिए। किसी से व्यक्तिगत रूप से इतनी परेशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का

02.04.2018/1525/SS-HK/2

उद्घाटन करने के लिए उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी आ रहे थे। रात से सुबह 7:00 बजे तक जो शिलान्यास की पट्टिका थी, वह मैदान में लगी हुई थी। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा जब भवन बन जाता है तो उद्घाटन पट्टिका भवन के अंदर लगाई जाती है। लेकिन नहीं लगी। हमारे कुछ साथियों ने कहा। उस वक्त के मुख्य मंत्री के स्वागत के लिए पंचायत के लोग भी खड़े थे, उन्होंने ऐतराज किया कि यह गलत कर रहे हैं। अगर हम मुख्य मंत्री जी के स्वागत के लिए आए हैं तो हम उनका पंचायत की ओर से स्वागत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो भवन सात करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ, जिसने इसकी नींव रखी है, शिलान्यास किया है, वह पत्थर भी साथ में लगाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आनन-फानन में उस वक्त के मुख्य मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से आधा घंटा पहले उस शिलान्यास पट्टिका को उठा करके दीवार में जहां सीढ़ियां हैं उसके नीचे रख दिया। उद्घाटन की पट्टिका पूरे फ्रंट पर लगी, वह अच्छी बात है। जहां वह लगनी चाहिए वह पूरे शान-शौकत के साथ लगनी चाहिए। लेकिन जो पत्थर शिलान्यास का था वह ऐसे अंधेरे में डाल दिया, जहां किसी की नज़र टॉर्च लगाकर भी उस पर न पड़े। जब मैंने विभाग के अधिकारियों को पूछा कि थोड़ा तो इन सारी चीज़ों पर सोचना चाहिए तो बोलते हैं कि मैं तो बड़ी मुश्किल से बाहर से उस पत्थर को अंदर तक ले आया। यहां तो अंदर लाने के लिए कहा गया, बोलते हैं कि यह पत्थर तो इधर लगना ही नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको खुलापन रखना पड़ेगा। इधर भी रखना पड़ेगा और उधर भी खुलापन रखना पड़ेगा। किसी का भी किसी काम के लिए अगर योगदान रहा है चाहे उसका शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है तो वह नाम अंकित रहना चाहिए। लम्बे

समय तक रहना चाहिए। हमेशा के लिए रहना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी और पूरे सम्मान के साथ जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके नाम की पट्टिका अगर कहीं तोड़ी जायेगी तो उसको विभाग रिस्टोर करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः वैसे तो आपने उत्तर दे दिया है परन्तु अगर किसी शिलान्यास की पट्टिका को किसी स्टोर में रखा हुआ होगा तो उसके लिए भी आप आदेश देंगे कि वह निकाल करके ठीक जगह पर लगा दी जाए क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा ही हुआ है।

2.04.2018/1530/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कहीं भी इस प्रकार का हुआ हो, शिलापट्टिका वहां पर नहीं है, कहीं स्टोर में रख दी होगी तो हम विभाग को आदेश करेंगें कि सुनिश्चित करें कि जो स्थान उसका है, वह वहां पर लगनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला में कहीं भी सरकारी संस्था के माध्यम से, सरकारी कार्यक्रम में किसी भी हारे हुए विधायक का नाम नहीं लगा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। जो मुकेश जी जिक्र कर रहे हैं, वह एक एन.जी.ओ. का कार्यक्रम था। इतना जरूर है मुकेश जी, कि आपके समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां जो लोग हारे हुए थे, उन्होंने तो सीमाएं लांघी हुई है लेकिन हम उन बातों का ज़िक्र नहीं करना चाहते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतने शिलान्यास, इतने उद्घाटन हुए हैं, (व्यवधान) हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री वहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते तो समझ में आता कि उनके नाम का ज़िक्र होना चाहिए, पट्टिका में उनका नाम लगना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री जी उन स्थानों पर गए ही नहीं थे उसके बावजूद भी वहां पर उनके नाम का खूब जिक्र किया गया । लिखा गया है कि उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से। (व्यवधान)

अध्यक्षः एक मिनट, इनको पूरा करने दो मुकेश जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मुख्य मंत्री जी, आप ऐसी बातों पर मत जाएं। अभी आप मेरे चुनाव क्षेत्र में गए। अनुराग ठाकुर वहां पर नहीं थे परन्तु प्लेट में आपके साथ उनका नाम अंकित है। वे वहां नहीं थे लेकिन आपने उनका नाम अंकित करवा दिया। वहां पर आपका नाम होना चाहिए था। वे तो वहां गए ही नहीं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, अनुराग ठाकुर जी वहां के चुने हुए सांसद हैं। एक दिन वे पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ रहे तो उनका नाम लगा। दूसरे दिन भी रहना था लेकिन कहीं ज़रूरी कार्य से उनको जाना पड़ा। उस कारण वे नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे इस बारे में सूचित कर दिया था लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि वे सांसद हैं और पहले दिन हमारे साथ थे। दूसरे दिन भी उनका कार्यक्रम निर्धारित था लेकिन उनको किसी कारण से कहीं जाना पड़ा और वे हमारे साथ नहीं आ पाए।

2.04.2018/1530/केएस/वाईके/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जो व्यक्ति मौके का गवाह ही नहीं बना, क्या आप उस व्यक्ति का नाम उस पट्टिका से हटायेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बाल की खाल उतारने की कोशिश की जा रही है। पिछली सरकार के समय में उन स्थानों पर जहां पर तीन-तीन, चार-चार घण्टे जाने के लिए लगते हैं, वहां पर मुख्य मंत्री जी के नाम की पट्टिका लगा दी जबकि मुख्य मंत्री जी को उस वक्त शायद जानकारी भी नहीं थी, उसका क्या करेंगें? अनुराग जी तो रात तक मेरे साथ थे सिर्फ एक दिन ही साथ नहीं थे।

अध्यक्षः जगत सिंह जी, वैसे इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता लेकिन फिर भी आप एक मिनट में अगर कोई स्पष्टकीरण चाहते हैं?

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सबसे बड़ी चिन्ता जो टूटी हुई पट्टिकाओं को दोबारा लगाने की थी, मुख्य मंत्री जी ने सहमति दी है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद

करता हूं लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि जो केसिज़ दर्ज हुए हैं उनमें अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है । मेरे जिला किन्नौर के बारे में जो हमने 2018 में पुलिस में सूचनाएं दी, सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि उनमें एफ.आई.आर. ही नहीं हुई है। निचार से, कंघोस से जो हमने पुलिस में एफ.आई.आर. के लिए दरख्वास्तें दी हैं, बहुत बड़ी बात है कि एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं हुई है।

2.4.2018/1535/av/yk/1

श्री जगत सिंह नेगी---- जारी

पुलिस ने जो एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की है क्या आप उनके खिलाफ/ सख्ती से कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जो पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा वहां नहीं पहुंचने पर पट्टिकाएं लगाने की बात कर रहे हैं तो आज ऑन लाइन का जमाना है। कई बार आपको भी सचिवालय से समय नहीं मिलेगा तो आप भी कई जगह पर ऑन लाइन शिलान्यास करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने केटेगरीकली आश्वासन दिया है तो इसके बाद यह चर्चा का विषय नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से केवल यह कहना चाहता हूं कि कुछ जगह की जानकारी पुलिस विभाग को भी नहीं मिल पाई होगी। आप जो इस प्रकार की सारी जानकारी दे रहे हैं इस बारे में मेरे पास आपके पूरे विधान सभा क्षेत्र की डिटेल दी हुई है लेकिन मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके वहां जो शिलान्यास या उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं आप हमें उसकी जानकारी दें। मामला दर्ज करने के बाद उसमें जो कार्रवाई बनती होगी वह की जायेगी।

2.4.2018/1535/av/yk/2

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत श्री राकेश पठानिया जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 27 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक 'के0सी0सी0 बैंक में भी 5 "नीरव" ने 120 करोड़ रुपये दबाये', से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि यह हमारे प्रदेश में चार-पांच जिलों में एक लीड बैंक के रूप में काम करता है। हमारी सरकार हो या पिछली सरकार हो या उससे पिछली से पिछली सरकार हो; एक परम्परा रही है कि एन0पी0ए0 का लैवल 10 प्रतिशत से नीचे मैन्टेन किया जाए। वर्ष 2013-14 में सरकार गई तो उस समय एन0पी0ए0 8.3 प्रतिशत था। आज पांच साल के बाद इस बैंक का एन0पी0ए0 लगभग 21 प्रतिशत के आस-पास पहुंच चुका है और यह बड़ी अलार्मिंग स्थिति है। हमारे पूर्वजों ने जो बैंक बड़ी मेहनत से खड़ा किया था और पौंग डैम से जो लोग उठकर आए थे उनके बुजुर्गों ने गांव-गांव में जाकर कैम्प लगाए थे। कैम्प लगाने के बाद घर-घर जाकर कलैक्शन की थी और उस कलैक्शन के माध्यम से इस सोसायटी का जन्म हुआ था। वह छोटी सी सोसायटी आज इस स्तर पर पहुंची कि अपने-आप में एक कोअप्रेटिव मूवमैंट में यह पूरे विश्व में एक माना हुआ बैंक था। आज उस बैंक के जो हालात है मैं आपको वहां के एक नहीं बल्कि पिछले तीन-चार सालों के सैंकड़ों मामले बताऊंगा। इसमें जहां पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपये का लोन का मसला था उसके लिए बैंक के अंदर एस0ए0आर0एफ0ए0ई0एस0आई0 के लिए कम्पनी लगा रखी है जिनको रिकवरी के लिए आपने ठेके दे रखे हैं। वहां पर पंजाब से लम्बे-लम्बे सरदार/जाट उनकी रिकवरी करने के लिए आते हैं। मैंने वहां पर

2.4.2018/1535/av/yk/3

खुद चार-चार लाख के लोन के लिए घरों में ताले लगते हुए देखे हैं और महिलाओं को उठाकर बाहर फेंकते हुए देखा है। लोन रिकवरी के लिए उनके कपड़ों / बिस्तरों को बाहर फेंकते हुए देखा है। यहां पर जैसे अमर उजाला में खबर लगी है कि केवल 5 लोगों ने 120 करोड़ रुपये दबा रखे हैं। आपने नाबार्ड के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाते हुए बिना स्वीकृति से 303 करोड़ रुपये का लोन लोगों को दिया। उसमें नाबार्ड की टोटल गाइड लाइन्स को मिसयूज किया गया और उसमें 360 करोड़ रुपये पैंडिंग है। आपने जो ये पांच रत्न पाल रखे हैं इसमें एक रत्न तो ऐसा भी है जिसका पंजाब नेशनल बैंक के साथ 3 करोड़ रुपये का एन0पी0ए0 चल रहा था। आपने उस तीन करोड़ रुपये के एन0पी0ए0 को भी टेक ओवर किया जिसका रूल्स के हिसाब से कहीं भी प्रोविजन नहीं है। जो पहले ही नोन पेईंग अकाऊंट है उसको आपका बैंक और लोन दे रहा है और उसका आज 1850 करोड़ रुपये का लोन खड़ा हुआ है। इन लोगों के साथ आपका ऐसा क्या प्यार जागा? एस0ए0आर0एफ0ए0ई0एस0आई0 वाले वहां लोगों के बर्तन उठाकर बाहर फेंक रहे थे इनके लिए वे कहां मर गये? आपके बैंक वाले बोलते हैं कि हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। क्या हाई कोर्ट की अपील इन बड़े-बड़े लोन लेने वालों के लिए नहीं है? आपके एम0डी0साहब विदेश के दौरे कर रहे हैं वैसे तो अनऑथोराईज 17 चक्कर है। आपका बैंक जो लिखकर देता है उसके अनुसार ये कुआलालम्पुर, मोरिशियस, यू0के0, मलेशिया, श्रीलंका, प्ताया, मोस्को इत्यादि देशों में बैंकिंग सीखने के लिए जा रहे हैं। प्ताया में इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन टी0बी0सी0 (Technical Finance Bank Insurance and Compliance) अटैंड करते हैं।

02.04.2018/1540/TCV/AG-1
श्री राकेश पठानिया जारी।

प्ताया में ये क्या सीख कर आये हैं। इनका एन0पी0ए0 21 परसेंट चला गया है, आज इस बैंक की ये हालत है। आपने Loan Appraisal Committee क्या बना रखी है? क्या आपकी Loan Appraisal Committee आपके लोन्ज़ को स्क्रूटेनाइज़ नहीं करती है? अगर यह स्क्रूटेनाइज़ करती है तो ये एन0पी0ए0 क्यों खड़ा हुआ है? आदरणीय मंत्री जी मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि ये जो विदेशी टूअर हुए हैं, ये जो एन0पी0ए0 यहां तक आया है, ये जो 5 नवरत्न आपने पाल रखे हैं, इनकी केस हिस्ट्री अगर मैं पढ़ने लगूं तो शायद आधे घण्टे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इन सबके नाम सबको पता है, हररोज़ अख़बारों में छप रहे हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात तो अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब ये स्टेट्मैंट लगी थी, उस दिन की, बैंक के एम0डी0 की स्टेट्मैंट 583 करोड़ रुपये की हैं, बैंक के चेयरमैंन की स्टेट्मैंट 520 करोड़ रुपये की थी और केवल एक महीने की स्क्रूटनी के बाद आज ये स्थिति 720 करोड़ रुपये की है। आज इस बैंक के अंदर 720 करोड़ रुपये का एन0पी0ए0 हैं। This is a very alarming situation. आर0बी0आई0 की गाइडलाईन्ज़ ये कहती है कि 10 परसेंट एन0पी0ए0 के बाद आपको उस बैंक को बन्द करना पड़ेगा। आज हमारे कांगड़ा की ही नहीं, हमीरपुर, ऊना और कुल्लू जिला के लोगों की आस्था इस बैंक के साथ जुड़ी हुई है। It was supposed to be one of the finest financial institutions. अभी पिछले दिनों आपने मीटिंग की और जो अधिकारी आपके सस्पैंडिड थे, उनको आपने बहाल कर दिया। उनकी इन्क्वायरी पैंडिंग कर दी। आपके कुछ डायरेक्टर्ज़ तो ऐसे हैं जिनके बारे में आर0टी0आई0 मांगी गई। मिस्टर राणा, ऊना से आर0टी0आई0 मांगते हैं, आपका फ्लां-फ्लां डायरेक्टर है, उसने अपने सारे रिश्तेदार भर्ती कर दिए। उसने अपना बेटा, बहु, भाई, चचेरा भाई, चाचा और ताया सारे बैंक में लगा दिए। ये आर0टी0आई0 मांगता है और आपका बैंक BoD की मीटिंग करता है -"it was discussed that the complaint received by the bank through Additional RCS, Monitoring is anonymous. Hence, it is resolved that in future such types of complaint will not be placed before the BoD. आप हालात देखे, बाईनेम आ रहा है आपकी बी0ओ0डी0 की मीटिंग में that Dr. Rana and RTI activist from Una is asking for this RTI. बाईनेम उस आदमी का नाम आ रहा है और आपका बोर्ड यह लिख रहा है कि ये तो anonymous

02.04.2018/1540/TCV/AG-2

है। सारा परिवार वहां पर बैंक में भर्ती हो गया। क्या इन लोगों के पास कुछ डायरेक्टरों की एजेंसियां भी हैं? क्या एक ही डायरेक्टर आपका बैंक फाईनेंस करता है? बाकी डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं काम करता है? अगर एक घोटाला हो तो मैं आपसे बात करूं। आपका इम्प्लायमैंट का घोटाला, without paper recruitment घोटाला, आपका लोन्ज़ का घोटाला, डिसबर्समैंट का घोटाला। यहां तक कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करता है और वह कहता है कि एम0डी0 के पास तो पॉवर ही नहीं है। What is going on? आज पिछले 4 महीने से इस बैंक की लोन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। हमारा लोनी कौन है, हमारी रीड़ की हड्डी कौन है, छोटा दुकानदार जो 5-6 लाख की लिमिट लेकर काम कर रहा है। छोटा दुकानदार जो 10-15 लाख लोन लेकर दुकान चला रहा है। छोटा इंटर-प्रिनेयोर जो 20-50 लाख की इंडस्ट्री चला रहा है। 2-4 महीने से the meeting has not taken place. Total banking is at a standstill.पूरे-का-पूरा बैंक वैसे-का-वैसा 4 महीने से खड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके ऊपर इन्क्वायरी मांगी है। माननीय मंत्री श्री विपिन कुमार जी ने इस पर कार्रवाई की है। सारी सरकार इसमें लगी है कि किस तरह से इस बैंक को खड़ा किया जाये। लेकिन आपने इस पर क्या कार्रवाई की है? ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, जिन लोगों का इतने महीनों से एन0पी0एज0 हैं, उनके खिलाफ़ आपने क्या किया है? आदरणीय मंत्री जी ये बैंक डूब रहा है। कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना के लोग डूब रहे हैं। लेकिन 4 महीने से आपकी बैठक नहीं हुई है। जो लोग ईमानदारी से लोन की किस्त दे रहे हैं और जो लोग 60-70 साल से ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं, उनका बेड़ागर्क हो रहा है और आपके अधिकारी विदेश यात्रा कर रहे हैं। ---(व्यवधान)---देखिए श्री सुक्खु जी आप गलत बात मत करिए। मैंने कहा कि हमारी सरकार में या उससे पिछली आपकी सरकार या उससे पिछली सरकार में ऐसा नाम कभी नहीं आया। Never such yardsticks have been set कि एन0पी0ए0 20 परसेंट क्रॉस किया हो। आपकी सरकार में भी ये 5 प्रतिशत् रहा है।

02-04-2018/1545/NS/AG/1

श्री राकेश पठानिया ---- जारी।

अध्यक्ष महोदय, हम या तो इसमें चर्चा मांग लें।

अध्यक्षः नहीं। आप इधर बात कीजिये। उनको बोलने दीजिये।

श्री राकेश पठानियाः बीच में बोल रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। यह प्रोफिट में जाने वाली बात का सपना भूल जायें।

अध्यक्षः उनका रिकार्ड पर नहीं है।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। इन्होंने ये SARFAESI कहां से लगाये हुए हैं? इसमें एक पार्टी है; मारूति नदाना एजैंसी, बिलासपुर, बाकी पंचकुला, हरियाणा और लुधियाणा से, तथा बन्दला टी एस्टेट, पालमपुर से है। यह सारे-के-सारे सरकारी बदमाश जिनको आप बैंक के माध्यम से बुलाते हैं। सात या आठ लोगों के फोन आये थे और मैंने खुद जा करके नौज़वानों को बचाने के लिए पता नहीं कितनी राशि अपनी ज़ेब से दी है? अध्यक्ष जी, मैंने वहां पर जा करके मौका देखा है कि किस तरीके से वहां पर बदमाश आर्गेनाईज्ड रूप में आते हैं और आपका बैंक साथ में जाता है? इन छोटे-छोटे चार-चार लाख लोगों के पीछे आप हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये बड़ी-बड़ी मछलियां जो लगभग 720 करोड़ रुपये की राशि खा गई हैं और आज डक्कार भी नहीं मार रही हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो बड़ी विडम्बना की बात है। एक ऐसा केस है, जहां पर कई करोड़ों का लोन व्यक्ति मांगता है तो उसको बैंक कहता है कि तेरे पास तो ज़मीन नहीं है, आप कैसे करेंगे? कागज़ों मे वह अढ़ाई करोड़ अपना शो करता है और बैंक उसको आठ करोड़ रुपया ज़मीन पर नहीं देता है। आठ करोड़ बैंक से ले करके ज़मीन लेता है, उसको उपलब्ध करवा करके फिर आगे उसकी appreciation report बनाता है। You have crossed all limits now. बैंक और बैंक के अधिकारियों ने सारे-के-सारे नॉर्म्ज़ की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपके डारेक्टर ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों के हित में क्या आप इसको रद्द करने का आदेश देंगे? क्या आप इस पूरी मेनेज़मैंट को रद्द करने के आदेश देंगे? क्या आप इस केस को सी0बी0आई0 को देंगे? क्योंकि यहां पर नॉर्म्ज की उल्लंघना

हुई है। लगभग 720 करोड़ रुपये नॉर्म्ज़ की उल्लंघना हुई है। स्पैशियली आपने नाबार्ड की जो उल्लंघना की है The State Government can look into the affairs below rupees one crore.

02-04-2018/1545/NS/AG/2

Now you are touching almost Rs. 66 crores. Will you order CBI inquiry into this? हमारा हो या बेगाना हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। We want the right people to be shown the doors. The right person should be hanged to the nearest tree. इनका पता चले, जिन्होंने हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने हमारे पैसे का मिसयूज़ किया है। (Interruption) CBI should be involved. और सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी आप मांगे। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये misappropriations की हैं, जिन लोगों ने ये घोटाले किये हैं, क्या उन लोगों को ठीक दरवाज़ा दिखाया जायेगा और irrespective of any such affiliations मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि this is a very serious matter. मैं मंत्री जी आपसे एश्योरैंस चाहूंगा कि आप इसकी सी0बी0आई0 इन्कवायरी गवर्नमैंट को रिकमैंड करें। (Interruption) The Vigilance is not empowered because the value is above Rs. one crore. When the Vigilance is not empowered, you must go in for CBI inquiry. We don't want that any yardstick should be set कि फलाणे को छोड़ा जाये और फलाणे को रखा जाये। हम कहते हैं कि जो इसमें आये और जिसने गलत किया है, जिसने हमारी पब्लिक मनी का मिसयूज़ किया है, अध्यक्ष जी और जिसने हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, उसको क्या आप सज़ा देंगे? क्या आप उनको सस्पैंड करेंगे? मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक बड़े मज़े की बात सुनाता हूं। यह पिछली सरकार या उससे पिछली सरकार की बात नहीं है। यह बड़ी पुरानी और बड़ी नई बात भी नहीं है। मेरे पास एक मित्र किसी ट्रांसफर के चक्कर में आया था। मैंने कहा, यार आज थोड़ा के0सी0सी0बी0 बैंके के बारे में चर्चा करनी है, मैं इसको तैयार करूं। वह कहने लगा कि क्या आप के0सी0सी0बी0 बैंक के बारे में बोलेंगे? मैंने कहा, जी, मैं बोलूंगा। वह कहने लगा मैं आपको बड़े मज़े की बात सुनाता हूं। मैंने कहा, बताईये। वह कहने लगा कि हमने बैंक का पेपर दिया था। मुझे लगा कि मेरे 85 में से 83 नम्बर आ जायेंगे। मेरे ही गांव का एक आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ

था और मैंने उसको कहा कि मैं तेरी मदद कर दूं। क्योंकि वह कुछ नहीं लिख रहा था। उसने मुझे कहा कि बलैंक शीट ही देनी है। वह कहता कि मैं फेल हो गया और जिसने बलैंक शीट दी, वह पास हो गया। अब किस-किस तरीके से यहां पर घोटाले हुए हैं? (Interruption) I don't need any recommendation from you.

02.04.2018/1550/RKS/DC-1

श्री राकेश पठानिया... जारी

अध्यक्ष महोदय, अगर इनका सर्टिफिकेट इतना व्यवहार्य होता तो मैं इसे जरूर लेकर आपसे बात करता। मैं आपकी अनुमति तभी लेता जब मैं इनका सर्टिफिकेट ले लेता। मैं विषय को डीरेल नहीं करना चाह रहा हूं। हमें इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हम तो आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि this is our money, our forefathers money, as a whole this is public money. And this public money has been played by couple of people in such a manner that whole bank is now at a brink of closure. जिस बैंक की पिछले 4 महीनों से लोन कमेटी की बैठक न हुई हो, पिछले 4 महीनों से छोटे-छोटे लोनिज का ध्यान न रखा हो, कम्पलीट बैंकिंग स्टैंड स्टिल पर आ गई हो, उसके बारे में माननीय मंत्री जी गंभीरता से जवाब दें और गंभीरता से इस पर एक्शन भी लें। मैं चाहूंगा कि इसकी तुरंत जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। जब लोगों के पैसों से खिलवाड़ इस तरीके से होगा और सरकार आंख मूंद कर बैठी रहेगी तो यह बरदाश्त नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब विस्तार से दें और इसकी इन्क्वायरी भी मार्क करवाएं।

02.04.2018/1550/RKS/DC-2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी नियम-62 के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक "के.सी.सी. बैंक में भी पांच 'नीरव', 120 करोड़ दबाए", से उत्पन्न स्थिति

की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूं। निश्चित तौर पर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि के.सी.सी. बैंक, सहकारिता के क्षेत्र में एक उदाहरण है। किस प्रकार एक छोटे से प्रयास से, एक छोटी-सी सोसायटी से विकसित होता-होता यह पूर्ण विकसित बैंक के रूप में अस्तित्व में आया। लाखों लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं। यह ठीक है कि 5 लोगों की चर्चा यहां पर आई लेकिन असंख्य लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं। इनके छोटे-छोटे कारोबार हैं। इस बैंक से ऋण लेने के बाद वे अपने परिवार को पालते हैं, अपनी छोटी-मोटी दुकानदारी चलाते हैं। उन लाखों लोगों की भावनाएं भी इस बैंक के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आज बैंक संकट में है। माननीय सदस्य ने जो एन.पी.ए. का मसला उठाया है, यह एन.पी.ए. 5 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। वर्ष 2012-13 में बैंक के एन.पी.ए. की कुल राशि 231.554 करोड़ रुपये थी। आज यह राशि बढ़ते-बढ़ते तकरीबन 720 करोड़ रुपये तक जाने की आशंका है। जिन्हें लोन दिया गया है, उनमें 3 कम्पनीज़ और 2 इंडिविजुअल हैं । जब ऋण के आबंटन हुए उसमें चाहे नाबार्ड की शर्तें हो, जोकि गाइडलाइन्ज 'ले' करती है, चाहे बैंक की अपनी आंतरिक व्यवस्था हो, जिस पर हम यह निर्णय करते हैं कि लोन किसे दिए जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए। जब हम लोन दे रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी के तौर पर जो लोनी सिक्योरिटी दे रहा है, वे वास्तविक भी है या नहीं। मान लीजिए लोनी लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है, उसकी नीयत में कोई खोट आ जाता है, तो क्या जो प्रोपरटी प्लेज की है, क्या हम उस प्रोपरटी को बेच सकते हैं? मुझे लगता है कि 5 मामलों के अलावा और भी कई ऐसे मामले होंगे जिनमें

02.04.2018/1555/बी0एस0/एच0के0-1

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी

नियमों का उल्लघंन हुआ है, यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे पास यह विभाग नया-नया आया है और माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो भी अनियमितता हुई हैं, चाहे वह ऋण देने संबंधी अनियमितता है, चाहे वह वसूली संबंधी हैं, उसमें कोई ढील बैंक की तरफ से रही हैं, चाहे वह बैंक के अधिकारियों या बैंक के अध्यक्ष के व्यवहार का प्रश्न है, जहां तक उनकी क्रेडिबिल्टी का प्रश्न है । मुझे लगता है कि पिछले पांच सालों में यह सब हुआ है। जब से इस सरकार का गठन हुआ है मुझे नहीं लगता कि कुछ नई सरकार के कार्य काल में इस तरह का कोई गलत लोन दिया गया हो और ऐसी राशी दी गई हो जिसमें बैंक के नियम उसे परमिट नहीं करते हों। लेकिन गलती तो हुई है। यह बात सही है कि वर्तमान में हमारी सरकार सत्ता पर है , माननीय जय राम ठाकुर जी हमारे मुखिया हैं। जैसा माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय है, उन्होंने एक और हमारे माननीय मंत्री महोदय का जिक्र किया है वे भी इस मामले में लगे हैं कि न्याय तक हम इस मामले को ले जाए। विभाग मेरे पास है, इसलिए मैं भी इस प्रयास में लगा हुआ हूं। इस बात से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज जो स्थिति पैदा हुई है, इसको मैं अगर एक वाक्य में कहना चाहूं तो बैंक के जो मुखिया हैं और अन्य जो लोग इस गड़बड़ झाले में शुमार हैं, मैं उनके विषय में कहना चाहता हूं कि वे जिस शाखा में बैंठे हैं वे उसी को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति इस बैंक की है। कोआपरेटिव मूवमेंट मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश में इसकी स्थापना 1852 में हुई। सबसे पहली सहकारिता समिति अगर बनी थी तो वह हिमाचल प्रदेश के अन्दर जिला ऊना बनी थी। सहकारिता समिति के आंदोलन की आधार शीला जो है वह भी हिमाचल प्रदेश में रखी गई थी। आज अगर हम मूल्यांकन करें कि कोआपरेटिव आंदोलज जिस भूमि के अंदर शुरू हुआ है वह कहां खड़ा है और अन्य प्रदेश जहां पर ये कोआपरेटिव के कार्य जहां पर शुरू हुई, वे प्रदेश हम से कितने आगे निकल गए हैं। सारा मामला मुझे लगता है नियत

02.04.2018/1555/बी0एस0/एच0के0-2

का है, जब नियत खराब हो जाती है और विशेष तौर से जो शीर्ष लोग होते हैं चाहे वे किसी भी संस्था के अंदर हों। चाहे वे सामाजिक संस्था के अंदर हो, चाहे राजनीतिक संस्था के अंदर हों चाहे किसी सरकारी संस्था के अंदर हों, जब उनकी नियत में खोट आ जाता है तो संस्थाएं डूबती हैं, पार्टियां भी डूबती हैं। सामाजिक संगठन भी डूबते हैं। यह ऐसा ही केस है, यह नियत में खोट का मामला है। मैं सम्माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं , उन्होंने वाजिब और सही बात कही कि लोग बहुत पीड़ित हैं, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यह जन भावनाएं माननीय सदस्य महोदय के माध्यम से जो हम तक यहां पर पहुंची हैं हम उनका सम्मन करते हैं। मैं पूर्व में कह ही चुका हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के संज्ञान में यह सारा मामला है। इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। भर्ती संबंधी जो अनियमितताए बैंक के अंदर हुई हैं, लोन संबंधी जो अनियमितताए हुई हैं, लोन की राशी को वापिस लेने के लिए जो अनियमितताएं हुई है और आपने जो इशारा किया कि कुछ लोग विदेश दौरे में गए। हमारे सम्माननीय सदस्य रविन्द्र जी का भी प्रश्न था, उस दिन भी मैंने यह कहा था कि हमारे देश के अंदर बैंकिंग प्रणाली इतनी विकसित है कि हम तो विश्व के अन्य देशों को बैंक के संबंध में ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको हम कंस्लटेंसी दे सकते हैं और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं तो विदेश जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। मैंने उस प्रश्न के उत्तर में भी आश्वस्त किया था कि हम भविष्य में कानून बनाएंगे। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हम इस पर बिल्कुल रोक लगाएंगे। माननीय सदस्य महोदय को on the Floor of this House, I wish to ensure that हम कड़ी कार्रवाई करेंगे । इसमें सदस्य ने सी.बी.आई. की जांच के लिए कहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी राशी शामिल है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आज ही निवेदन करूंगा कि इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, जिन्होंने गलतियां की हैं वे दण्डित हों और लोगों को भी पता चले। अभी तीन महीने से कोई

02.04.2018/1555/बी0एस0/एच0के0-3

लोन समिति की बैठन नहीं हुई, लोग बहुत परेशान हैं। आपने बोर्ड को डिजाल्व करने का जो विषय रखा है, मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करके, सरकार के साथ चर्चा करके हम इस प्रयास में लगे हैं कि इस बैंक की जो प्रतिष्ठा थी वह लौट आए , इस बैंक का जो गौरव है वह लौट आए। इस बारे में हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे । जो आपकी भावना है, उससे में बिल्कुल सहमत हूं, इस बारे में हम कठोर कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। किसी को बख्सा नहीं जाएगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो गड़बड़िया हुई हैं इनके लिए न तो सरकार की ऐसी भावना है कि उसमें पर्दा डालें न ही इस विभाग में अध्यक्ष होने के नाते मेरी ऐसी भावना है कि हमने किसी को बचाना है, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। अगर मेरी ओर से माननीय सदस्य आश्वस्त हों और मैंने उनको आश्वस्त करने का प्रयास भी किया है। यह मात्र कोरा आश्वासन नहीं है कठोर कार्रवाई होगी। यह पुनः मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। धन्यवाद।

02.04.2018/1600/डी0टी0/एच0के0-1

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई

अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

02.04.2018/1600/डी0टी0/एच0के0-2

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018 के 11:00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला 171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 02 अप्रैल, 2018 **सचिव ।**